

परिशिष्ट
(देखिए नियम 6)

फार्म- क

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने
का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण-अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद रामपुर में मै0 एस्सार आयल कम्पनी लि0 नोएडा द्वारा ग्राम पहाड़ी खसरा संख्या-140 में रामपुर-केमरी (ओ0डी0आर0 संख्या-20) मार्ग किमी0 3.135 की बायीं पटरी के अन्तर्गत तहसील सदर जिला रामपुर में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।
ब)	15:000 स्केल मैप पर बने भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है
स)	परियोजना की लागत	रू0 50 लॉख
द)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	वन क्षेत्र में योजना स्थापित नहीं की जा रही है संरक्षित वन में सम्पर्क मार्ग निर्माण की अनुमति है।
य)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्नक किये जाने के लिए)	लागू नहीं है
र)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	06 स्थायी एवं लगभग 300 अस्थायी मानव दिवस
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार वितरण	0.0555 हे0

	वितरण	
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का कारण यदि कोई हो	कोई नहीं
अ)	परिवारों की संख्या	कोई नहीं
ब)	अनु० जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं
स)	पुनर्वास योजना (संलग्नक किये जाने के लिए)	कोई नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम -1987 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? हां/ नहीं	नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता।	संलग्न है।
6	संलग्नक	संलग्न सूची अनुसार

For Essar Oil Limited

Gulshan Sethi
Authorised Signatory

गुलशन सेठी

दिनांक:-

स्थान: रामपुर

सीनियर डिवीजनल मैनेजर (यू०पी० वेस्ट)

एस्सार आयल कम्पनी लि० नोएडा।